भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1951
(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया)
आई.बी.सी. अध्यादेश, 2017 के अधिनियम के बाद समाधान योजनाओं की स्थिति

1951. श्री मनीष गुप्ता :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आई.बी.सी.) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आई.बी.सी) (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं की संख्या में कमी आई है; और
(ख) उपर्युक्त अध्यादेश के प्रख्यापन और उपर्युक्त अधिनियम के अधिनियमन के बाद सभी मामलों में प्रस्तुत समाधान योजनाओं की संख्या में वास्तविक रूप से कितनी कमी आई है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): जी नहीं, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 अधिनियमित होने के बाद समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने में कोई कमी प्रतीत नहीं होती है। उक्त अध्यादेश कुछ ऐसे व्यक्तियों, जो अपने पूर्ववर्तियों के कारण संहिता के तहत प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, को समाधान प्रस्तुत करने से रोकते हुए दिवाला समाधान प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया तथा लागू किया गया। लेनदारों की समिति द्वारा अपने अनुमोदन से पहले प्रस्तुतीकरण और विचार करने के लिए कुछ अतिरिक्त अपेक्षाओं का उल्लेख करने हेतु अतिरिक्त प्रावधान बनाने के लिए दिनांक 23.11.2017 को लागू किया गया था। यह अध्यादेश दिनांक 18.01.2018 के दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

अध्यादेश के प्रवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा 8(आठ) समाधान योजनाएं अनुमोदित की गई जबकि इससे पहले 5 (पांच) समाधान योजनाओं को अनुमोदन दिया गया था।

*****